BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 10 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 5,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पप्पू पंडित पुत्र चन्दू शर्मा निवासी ग्राम धमेड़ा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-1995 में वादी राकेश पुत्र स्व0 फतेह सिंह निवासी ग्राम माकड़ी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर के पिता की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.08.1995 को थाना स्याना पर मुअसं- 161/1995 धारा 302, 34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 19.03.1996 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 01 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 10.01.2025 को न्यायाधीश श्री अभिमन्यु सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे -04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पप्पू पंडित को आजीवन कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री चन्द्रभान सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर